ग्राम पंचायत सेर लोहारा, विकास खण्ड देहरा,जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1. प्रस्तावना (क) :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सेर लोहारा, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03. 2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्री अश्वनि कुमार	1-4-2014 से 31-3-2017

सचिव :-

1	श्री राजिन्द्र सिंह	1-4-2014 से 31-3-2017

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सारः-**

ग्राम पंचायत सेर लोहारा के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों मे)
1	8	अनुदान उपयोग न करना	11.76
2	9	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	0.27
3	11	IWMP अनुदान से स्वयं सहायता समूह को भुगतान की गयी चक्रीय राशि के भुगतान बारे	1.00

2 वर्तमान अंकेक्षणः-

ग्राम पंचायत सेर लोहारा, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक **द्वारा** दिनांक 4/8/2017 से 8/8/2017 तक ग्राम पंचायत सेर लोहारा में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-1 5	3/2015	10/2014

2015-16	9/2015	6/2015
2016-17	3/2017	2/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सेर लोहारा, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 200/2017 दिनांक 8-8-2017 **द्वारा** अनुरोध किया गया |

4 वितीय स्थिति:-

सचिव ग्राम पंचायत सेरलोहारा **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्त्रौत :-**ग्राम पंचायत सेर लोहारा के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	124301.55	62234	186535.55	16027	170508.,55
2015-16	170508.55	37128	207636.55	11562	196074.55
2016-17	196074.55	91251	287325.55	43865	243460.55

(2) **अनुदान :-**ग्राम पंचायत सेर लोहारा के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-**1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	873310	1175420	2048730	1115324	933406
2015-16	933406	1212129	2145535	1413867	731668
2016-17	731668	1280624	2012292	836204	1176088

5 बैंक समाधान विवरणी के तैयार न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.16 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सेर लोहारा **द्वारा** हिमाचल परदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान

अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2017 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹**16329.04** का अंतर था| अत: पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें|

1 रोकड़ वहि खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष 243460.55

2 रोकड़ वहि खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष 1176088

योग 1419548.55

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2017 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था|

क्र. सं0	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**
1	KCCB BANKHANDI	50055670220	0
2	KCCB BANKHANDI	20136016326	0
3	KCCB BANKHANDI	50055670173	461
4	KCCB BANKHANDI	50055670231	101684
5	KCCB BANKHANDI	50055669929	960631
6	KCCB BANKHANDI	20136022363	145098
7	KCCB BANKHANDI	20008005693	91027
8	PNB BANKHANDI	1990000100322434	92338.59
9	PNB BANKHANDI	1990000100322425	40618
10	PNB BANKHANDI	50055670195	1859
	Post Office	1051150	2140
	Cash in hand		21
	Grand Total		**1435877.59**

अंतर 1435877.59 - 1419548.55 = 16329.04

6 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व की वसूली :-

पंचायत सचिव सेर लोहारा **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹4710 वसूली हेतु शेष थी|

1. **गृहकर** :

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2014-15	3390	12630	16020	13380	2640
2015-16	2640	12630	15270	90	15180

2016-17	15180	13170	28350	23640	4710

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया| अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए|

8 अनुदान ₹11.76 लाख का उपयोग न करना ;-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1176088 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

9 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.27 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत सेर लोहारा **द्वारा** उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार 13th FC(ZP,PS) में दिनांक 31-03-2017 को ₹27419 ऋणात्मक दर्शाई गयी है|जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन 13th FC(ZP,PS) में अथवा किसी अन्य योजना से 13th FC(ZP,PS) का भुगतान करने के फलस्वरूप है| इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिशचित करते हुए अनुपलना से अवगत करवाएं|

10 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत **द्वारा** प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय **द्वारा** राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के **दुर्विनियोजन** की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता| इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च **अधिकारियों** के ध्यान में लाया जाता है|

11 IWMP अनुदान से स्वयं सहायता समूह को भुगतान की गयी चक्रीय ₹1.00 लाख के भुगतान बारे :---

ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को निम्नानुसार ₹**100000** भुगतान की गयी जिसे उनके साथ किये गये अनुबंध के अनुसार स्वयं सहायता समूहों से 18 मास मे वापिस लिया जाना है|अत: यह राशि **निश्चित** समयावधि में वापिस लेनी सुनिश्चित की जाए|

वाउचर संख्या	दिनांक	स्वयं सहायता समूह का नाम	राशि
3	8-8-2016	आस्था स्वयं सहायता समूह	25000
4	8-8-2016	वन्दना स्वयं सहायता समूह	25000
5	8-8-2016	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	25000
6	8-8-2016	प्रेरणा स्वयं सहायता समूह	25000
		योग	**100000**

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु आपति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

15 **निष्कर्ष :- लेखाओं** के **रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है |**

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)120/2017 खण्ड–1–352–355 दिनांक12.01.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत सेर लोहारा, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046